

31.3.21

पत्रावली पेश हुई वकील पञ्जसौरभ कपूरियल
 है। वहस 'प्रार्थना' पत्र 7.2 पर लकील
 उभयपक्षसंरान को सुना गया। पत्रावली
 का भवलोचन किया। वहस में तार्फैसला
 बाद रेकार्ड एवं मीके की यथा स्थिति बननी
 रखी जाने बाबत निवेदन किया। विभाजन
 भूमि के बाद में अस्थायी निपेद्याता का
 प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। अतः मूलवाद
 के निर्णय तक रेकार्ड एवं मीके की यथा
 स्थिति रखी जानी आवश्यक प्रतीत होता है।
 अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट किया जाता है। अतः
 ग्राम टोपा पटवार मण्डल केरमा तहसील
 नैनवां की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01
 में वर्णित भूमि खसरा सं. 28, 43, 50, 56,
 59, 60 एवं 72 कुल रकबा 07 बीघा 11
 बिस्वा भूमि पर तार्फैसला बाद रेकार्ड
 एवं मीके की यथा स्थिति बनाए रखने के
 आदेश दिए जाते हैं। निर्णय सुप्रीम्यालय
 में सुनाया गया। पत्रावली बाद त्रुमील
 मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
 नैनवां (दुन्दी)

